IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

Website : http://www.upavp.com; E-mail : info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की सिकन्दरा योजना, आगरा के विवादित/अतिक्रमित एवं अविकसित भू-भाग का नीलामी द्वारा निस्तारण

भू-भाग का विवरण

भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	कुल मूल्य (रूपये करोड में)	टोकन धनराशि (सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत) (रूपये करोड़ में)
पाकेट–ए सेक्टर–15	121086.00	166.01	16.60
पाकेट–बी सेक्टर–12 डी	23783.36		

भू-भाग के निस्तारण की प्रमुख नियम व शर्तें :-

- भूमि के क्षेत्रफल में परिवर्तन होने पर बोलीदाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। क्षेत्रफल में कमी/बढ़ोत्तरी होने पर परिषद के नियमानुसार धनराशि की वापसी/माँग की कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।
- भूमि 'जहाँ है, जैसे है' के आधार पर नीलामी की जायेगी तथा कब्जा पत्र परिषद द्वारा दिया जायेगा, लेकिन भूमि का भौतिक कब्जा उच्चतम बोलीदाता द्वारा भारत नगर सहकारी आवास समिति, आगरा से समझौते के आधार पर स्वयं लिया जायेगा।
- यदि उक्त भूमि पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसके निस्तारण का दायित्व उच्च्तम् बोलीदाता का ही होगा।
- सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10% टोकन धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो **''उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा''** के पक्ष में भुगतान योग्य देय होगा।
- सील्ड बिड बैंक ड्राफ्ट सहित नीलामी से एक दिन पूर्व तक संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा की जा सकती है अथवा नीलामी के दिन नीलामी प्रारम्भ होने के पूर्व टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है।
- उच्चतम् बोलीदाता की बोली स्वीकृत होने के उपरान्त परिषद नियमानुसार भुगतान करना होगा।
- प्रदेशन पत्र के अनुसार वाँछित धनराशि समयान्तर्गत जमा कर कब्जे हेतु औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने की स्थिति में जमा 10 प्रतिशत टोकन मनी की धनराशि को जब्त करते हुये आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये बोलीदाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण तथा नियम/शर्तों की जानकारी सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं परिषद की वेबसाइट http://www.upavp.com पर Public Notice के अन्तर्गत देखी जा सकती है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आवास आयुक्त

आवेदन फार्म/ नियम एवं शर्तों की पुस्तिका की विक्रय अवधि दिनांक 17.06.2016 से 25.06.2016 तक

विस्तृत नियम व शर्तों की पुस्तिकायें आवास विकास कार्यालय आफिस कम शॉपिंग काम्प्लेक्स, सेक्टर–9 सिकन्दरा योजना, आगरा से रू. 550.00 नगद जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

नीलामी तिथि
27 जून, 2016
पूर्वान्ह 11:00 बजे

नीलामी स्थल
नवीन भवन, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ